कार्यवृत्त

गुरूवार, 03 पौष, शक संवत्, 1942

(दिनांक : 24 दिसम्बर, 2020)

खण्ड–58

अंक–4

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही मा0 नेता प्रतिपक्ष, मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह, श्री आदेश सिंह चौहान, काजी मौ0 निजामुद्दीन, श्रीमती ममता राकेश, मौ0 फुरकान अहमद द्वारा दिनांक 20 दिसम्बर, 2020 देवभूमि उत्तराखण्ड के तीर्थनगरी जनपद हरिद्वार में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के सम्बन्ध में नियम 310 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा की मांग की गयी।

श्री अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय दिया गया कि 310 की सूचना को नियम 58 में सुन लेंगे।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम 300 के अन्तर्गत 27 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उन सभी सूचनाओं को ध्यानाकर्षण के लिए स्वीकार कर रहे हैं:–

1.	श्री देशराज कर्णवाल 'चमार' साहब	राज्य में बी0एड0, टी0ई0टी0 (प्रथम) प्राथमिक अध्यापकों हेतु गतिमान भर्ती प्रक्रिया में मेरिट बनाकर रिजल्ट जारी किये जाने के सम्बन्ध में।
2.	श्री प्रीतम सिंह पंवार	विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत लालपुल भुत्सी मोटरमार्ग निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना।
3.	श्री खजान दास	राजपुर रोड़ विधान सभा, देहरादून के अन्तर्गत नगर निगम, देहरादून वार्ड सं0 21 एमकेपी में जल निगम द्वारा लगभग 5–6 वर्ष पूर्व डाली गई सीवर लाइन को शुरू करने के सम्बन्ध में।
4.	श्री हरीश सिंह	प्रदेश में लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों पर चयन के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 02 वर्ष और बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।
5.	श्री प्रीतम सिंह	नंदप्रयाग मोटर मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में।
6.	श्री ममता राकेश	विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में आधार कार्ड केन्द्रों की संख्या बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।
7.	हाजी फुरकान अहमद	विधान सभा क्षेत्र पिरान कलियर में राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज के सम्बन्ध में।
8.	डा0 धन सिंह नेगी	टिहरी विधान सभा के अन्तर्गत नई टिहरी शहर में पार्किंग की समस्या के समाधान किये जाने विषयक।
9.	श्री नवीन चन्द्र दुमका	लालकुंआ विधान सभा में खत्ते एवं अन्य वन भूमि पर बसे गाँवों में मौलिक व मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक कानून में संशोधन करने के सम्बन्ध में।
10.	श्री उमेश शर्मा काऊ	मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून द्वारा अवस्थापना निधि के सम्बन्ध में।
11.	कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''	विधान सभा क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत सौलानी नदी के आमखेड़ी के घाट पर पुल निर्माण सम्बन्धी।

12.	श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी	विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के अन्तर्गत बिडकुल को टैटुडा से नैंणी प्रपोजल न0 50196 मोटर मार्ग निर्माण सम्बन्धी।
13.	श्री राजकुमार ठुकराल	मलिन बस्तियों के नियमितिकरण कर उसमें निवास करने वाले असहाय नागरिकों को मालिकाना हक, स्वामित्व प्रदान किये जाने के सन्दर्भ में।
14.	श्री महेन्द्र भट्ट	जनपद चमोली में विकास खण्ड पोखरी के रा0 पॉलिटैक्निक भवन के निर्माण में हो रही देरी से जनता मे व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।
15	श्रीमती मुन्नी देवी शाह	विधान सभा क्षेत्र थराली में विभिन्न पुलों के निर्माण शीघ्र कराने हेतु केन्द्र सरकार/पी0एम0जी0एस0वाई0/नाबार्ड/वर्ड बैंक के वित्तपोषण से सम्बन्धित।
16.	श्री चन्दन राम दास	वर्ष 2005 के बाद से नियुक्त शिक्षक/कर्मचारियों के पुरानी पेंशन के बहाली के सम्बन्ध में।
17.	श्री दीवान सिंह बिष्ट	रामनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बन्द पड़ी सिंचाई नहरों से सिंचाई नहीं होने से व्याप्त असन्तोष की सूचना।
18.	श्री पूरन सिंह फर्त्याल	उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट में डॉक्टरों की नियुक्ति के उपरान्त बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं से व्याप्त असन्तोष की सूचना।
19.	श्री मनोज रावत	प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में।
20.	डॉ0 प्रेम सिंह राणा	धर्मान्तरण से ईसाई बने अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के लोगों का SC एवं ST का दर्जा समाप्त किये जाने की मांग सम्बन्धी सूचना।
21.	श्री पुष्कर सिंह धामी	ऊधमसिंह नगर के खटीमा में सिड़कुल क्षेत्र के विस्तारीकरण न होने से व्याप्त असंतोष की सूचना।
22.	श्री सहदेव सिंह पुण्डीर	जनपद देहरादून की विधान सभा सहसपुर के अन्तर्गत कोटी–बुटोली मार्ग पर शेरूखाला में पुल निर्माण सम्बन्धी।
23.	श्री बिशन सिंह चुफाल	जनपद पिथौरागढ़ के कनालीछीना से कापड़ी गाँव में सड़क के डामरीकरण से सम्बन्धित।
24.	श्री आदेश सिंह चौहान	वन्य जीवों द्वारा किसानों की फसल नष्ट करने व आबादी क्षेत्रों में लगातार वन्य जीवों के द्वारा नागरिकों पर किये जा रहे प्राणघातक हमलों से व्याप्त असन्तोष की सूचना।
25.	श्री कैलाश चन्द्र गहतोड़ी	चम्पावत विधान सभा के क्षेत्र टनकपुर नगरपालिका क्षेत्र में खामभूमि के लीज पट्टों के नवीनीकरण न होने से व्याप्त असंतोष की सूचना।
26	श्री राम सिंह कैड़ा	विधान सभा भीमताल क्षेत्र के अन्तर्गत मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के एक्सरे व अल्ट्रासाउण्ड मशीनों के न लगने से व्याप्त असन्तोष की सूचना।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम डाडा पट्टी पो0 हसनपुर मदनपुर में राजकीय कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय का उच्चीकरण के सम्बन्ध में'' श्री संचीत पुत्र श्री बृजपाल, ग्राम डाडा पट्टी, पो0 हसनपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम डाडा जलालपुर पो0 हल्लूमाजरा में अम्बेडकर पार्क का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध सम्बन्ध में'' श्री राहुल पुत्र श्री मामराज, ग्राम डाडा जलालपुर पो0 हल्लूमाजरा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम हबीबपुर निवादा में पानी की टंकी निर्माण के सम्बन्ध में'' डा0 संजीव सैनी पुत्र श्री सीताराम, ग्राम हबीबपुर निवादा पो0 हल्लूमाजरा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम मंडावर पो0 खुब्बनपुर में आन्तरिक गलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री प्रदीप पुत्र श्री चन्द्रपाल, ग्राम मंडावर पो0 खुब्बनपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम पुहाना पो0 सालियर में धार्मिक स्थल(मदरसा एवं मस्जिद) पर सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री ईरशाद पुत्र श्री असगर ग्राम पुहाना पो0 सालियर भगवानपुर जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 के अन्तर्गत श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री हरीश सिंह, श्रीमती ममता राकेश, श्री करन महरा, श्री आदेश सिंह चौहान एवं हाजी फुरकान अहमद की कुल 05 सूचना प्राप्त हुई हैं। वे इन सभी सूचनाओं को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहे हैं।

नियम–310 की नियम–58 में परिवर्तित सूचना दिनांक 20 दिसम्बर, 2020 देवभूमि उत्तराखण्ड के तीर्थनगरी जनपद हरिद्वार में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के सम्बन्ध में मा0 नेता प्रतिपक्ष, मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह, श्री हरीश सिंह, श्रीमती ममता राकेश, श्री आदेश सिंह चौहान ने विचार व्यक्त किए।

श्री अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय दिया गया कि विषय अत्यन्त गम्भीर एवं संवेदनशील है। प्रदेश की सरकार एवं पुलिस प्रशासन के सक्रिय प्रयासों से एक आरोपी पकड़ा भी गया है। यह सभ्य लोकतांत्रिक प्रगतिशील समाज में स्त्री समाज के साथ स्वीकार नहीं किया जा सकता। चूंकि मा0 मंत्री जी ने इस विषय को बहुत गम्भीरता से भी लिया, फिर भी यह पीठ पुलिस प्रशासन को निर्देशित करती है कि शीघ्र अतिशीर्घ कार्यवाही करे एवं नेता सदन के नेतृत्व में प्रदेश विकास एवं शांति के पथ पर आग बढ़ेगा। मा0 संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

उत्तराखण्ड में स्वास्थ्य सेवा की बदहाली से गर्भवती माताओं की जान जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना पर मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार ने विचार व्यक्त किये।

11:52 बजे मा0 उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।

मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री उपाध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

विधान सभा भगवानपुर के अन्तर्गत मक्खनपुर के शासकीय चिकित्सालय में डायलिसिस, अल्ट्रासाउण्ड एवं ब्लड बैंक की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना पर मा0 सदस्य श्रीमती ममता राकेश ने विचार व्यक्त किये।

मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री उपाध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

विधान सभा क्षेत्र जसपुर के अन्तर्गत स्थापित नादेही शुगर मिल में मिल प्रशासन द्वारा मृतक आश्रितों को नियुक्ति प्रदान ना किये जाने के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना पर मा0 सदस्य श्री आदेश सिंह चौहान ने विचार व्यक्त किये।

मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री उपाध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

क्रिसमस एवं नव वर्ष के अवसर पर प्रशासन द्वारा होटल संचालकों को कार्यक्रम आयोजित किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना पर मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह ने विचार व्यक्त किये।

12:28 बजे मा0 अध्यक्ष पीठासीन हुए।

मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

प्रदेश में बढ़ती महंगाई के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना पर मा0 नेता प्रतिपक्ष ने विचार व्यक्त किये।

मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

12:56 बजे विपक्ष द्वारा सदन से वॉक आउट किया गया।

मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हमारे सम्मानित सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना हमारे बीच नहीं रहे। अतः कार्यसूची की मद सं0 23 एवं 42 पर श्री सुरेन्द्र सिंह जीना के नाम से अंकित असरकारी संकल्प तथा प्रस्ताव विलोपित कर दिये जांय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत अवस्थित भिलंगना विकास खण्ड की विषम भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत विकास खण्ड का पुनर्गठन कर पृथक से एक नया ''बाल गंगा विकास खण्ड'' बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।'' **चर्चा जारी रहेगी।**

श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि लोक निर्माण विभाग के कोर नेटवर्क में राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के आलोक में केन्द्र सरकार से संशोधन का निवेदन किया जाय।'' **चर्चा जारी रहेगी।**

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैक लॉग के पदों पर विशेष अभियान चलाकर यथाशीघ्र नियुक्तियॉ की जाय''। **चर्चा जारी रहेगी।**

श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकासखण्ड जाखणीधार का भूगोल टिहरी बांध की झील बनने से अव्यवहारिक हुआ है जिसे पुनर्गठन कर मदन नेगी अथवा रजाखेत के नाम से पृथक नया विकासखण्ड बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय''। **चर्चा जारी रहेगी।**

काजी मौ0 निजामुद्दीन, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त हुए समस्त वित्तीय घोटालों की जांच हाईकोर्ट के सेवारत न्यायाधीश से कराई जाय''। **चर्चा जारी रहेगी।**

श्री नवीन चन्द्र दुम्का, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र लालकुऑ के अन्तर्गत स्थित बिन्दुखत्ता तहसील लालकुऑ, जिला नैनीताल एवं अन्य खत्तों व ऐसे अन्य गांवों जो वन भूमि पर बसे है, में निवास कर रहे नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करने के लिए ऐसे सम्बंधित समस्त क्षेत्रों को राजस्व गांव बनाया जाय''। **चर्चा जारी रहेगी।**

श्रीमती ममता राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ किया जाय''। **चर्चा जारी रहेगी।**

श्री हरबंस कपूर, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :–

''यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि गाय को भारतीय कृषि, आर्थिकी तथा आध्यात्म का आधार होने के कारण राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकृति दी जाय एवं इस राष्ट्रीय पशु के संरक्षण एवं विकास हेतु ''राष्ट्रीय गाय विकास प्राधिकरण का गठन भी किया जाय।'' **चर्चा जारी रहेगी।**

श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना में से प्रतिवर्ष रू0 01 करोड़ मन्दिरों तथा पंचायत स्थलों के विकास, जीर्णोद्धार, सौन्दर्यीकरण, पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृत किये जाने का प्रावधान किया जाय।'' **चर्चा जारी रहेगी।**

श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बांध विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए एक कारगर नीति बनायी जाय।'' **चर्चा जारी रहेगी।**

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी एवं चकराता के मूल निवासी अछूत कोल्टा जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय''। **चर्चा जारी रहेगी।**

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि मत्स्य विकास प्राधिकरण द्वारा दिसम्बर 2016 में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लगभग 60 पदों पर बिना आरक्षण के माध्यम से आउट सोर्सिंग/उपनल से

तथा 14 पदों पर संविदा के द्वारा बिना विज्ञप्ति एवं आरक्षण लागू न करते हुए भर्ती की गई। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए जांच की जाय''। **चर्चा जारी रहेगी।**

श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में वृद्धावस्था, विधवा तथा दिव्यांग पेंशन धारकों की पेंशन में दोगुनी वृद्धि की जाय''। **चर्चा जारी रहेगी।**

श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :–

''यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि उत्तराखण्ड राज्य में ई–नेटवर्किंग में मोबाईल कार्य हेतु कार्यरत सभी कम्पनियां अपने–अपने उपभोक्ताओं की किसी भी तरह की जानकारियां किसी अन्य कम्पनियों को उपलब्ध न करायें''। **चर्चा जारी रहेगी।**

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य में राज्य गठन से पूर्व राज्य में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग हेतु जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के लिए पात्रता निर्धारण किये जाने की शर्तों में शासनादेश संख्या–1118/ग्टप्–1/2013–01(20)2013 में दिये गये शासनादेश संख्या 2588/एक–4/सा0प्रा0/2001 दिनांक 20 नवम्बर, 2001 में दी गई व्यवस्था पर पुनर्विचार करते हुए यह माना जाय कि शासनादेश के बिन्दु संख्या–02 में उल्लेख है कि इस श्रेणी में वही व्यक्ति आयेंगे जिनका स्थाई आवास उत्तरांचल में हो, तथा उत्तरांचल के सद्भाविक (ठवदंपिकम त्मेपकमदजे) निवासी हों, यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाय''। **चर्चा जारी रहेगी।**

श्री नवीन चन्द्र दुम्का, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि अनु0 जनजाति व अन्य परम्परागत वन (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तद्सम्बन्धी नियमावली 2008 में संशोधन हेतु संकल्प पारित कर भारत सरकार की प्रेषित किया जाय कि अन्य परम्परागत वन निवासी 13 दिसम्बर, 2005 से पहले तीन पीढ़ियां 75 वर्ष से वन भूमि पर काबिज हो के स्थान पर पीढ़ी 25 वर्ष से वन भूमि में काबिज हो किया जाय''। **चर्चा जारी रहेगी।**

श्रीमती ममता राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि देवभूमि उत्तराखण्ड में शराब को पूर्ण प्रतिबन्धित किया जाय''। **चर्चा जारी रहेगी।**

श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि पर्वतीय क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा जिला चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर चिकित्सकों, विशेषज्ञ चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ की शीघ्र तैनाती की जाय''। **चर्चा जारी रहेगी।**

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि ''जाति व्यवस्था को आमूलचूल व्यवस्था परिवर्तन एवं समाज में समरूपता/एकरूपता बनाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाये कि वह इस उद्देश्य से नाम के पीछे जाति, गोत्र आदि सूचक शब्दों को हटाने के लिए आवश्यक विधि व्यवस्था निरूपित करें या राज्य सरकार अनुसूचित जाति के लोगों के नाम के आगे उनकी जाति जो स्वेच्छा से लगाना चाहें उनके नाम के आगे उनकी जाति गोत्र सूचक शब्द लगाये जाने की अनुमति प्रदान करें अथवा प्रदेश में जिन लोगों के नाम के पीछे जाति/ गोत्र सूचक शब्द लगा हुआ है उन्हें तत्काल हटाया जाय। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाय''। **चर्चा जारी रहेगी।**

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश में स्थापित औद्योगिक ईकाइयों में प्रदेश के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने में बाहरी प्रदेशों के बेरोजगार युवकों की अपेक्षा अधिक अवसर प्रदान करने पर विचार किया जाये।'' **चर्चा जारी रहेगी।**

श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश में एक कार्य एक टेण्डर के स्थान पर छोटी–छोटी योजनाओं के टेण्डर पर कार्य कराये जाय।'' **चर्चा जारी रहेगी।**

श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि बी0डी0 इन्टर कालेज भगवानपुर, हरिद्वार में स्टेडियम निर्माण हेतु जनपद हरिद्वार में निदेशालय के अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त उक्त स्थल मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु उपयुक्त पाये जाने के फलस्वरूप स्टेडियम निर्माण कराने पर विचार किया जाय।'' **चर्चा जारी रहेगी।**

श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :–

''यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि राज्य में वाहन दुर्घटनाओं तथा दैवीय आपदा के अन्तर्गत मारे गये व्यक्तियों को एक समान प्रतिकर/अहेतुक सहायता राशि दिये जाने का प्राविधान किया जाय।'' **चर्चा जारी रहेगी।**

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि भारी वर्षा के कारण प्रदेश में काफी जन हानि एवं आपदा जैसे हालात पैदा हो गये हैं, जिस हेतु प्रदेश सरकार राज्य को दैवीय आपदा घोषित करते हुए केन्द्र सरकार को इस आशय का प्रस्ताव भेजे कि वे केन्द्र सरकार द्वारा इसकी भरपाई करने हेतु राज्य को विशेष अनुदान राशि मुहैया करायी जाय ।'' **चर्चा जारी रहेगी।**

श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :–

''यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है कि विधान सभा भवन भराड़ीसैंण के मुख्य परिसर का नाम भारत रत्न डा0 भीमराव अम्बेडकर के नाम पर ''डा0 भीमराव अम्बेडकर विधान सभा कर दिया जाय।'' **चर्चा जारी रहेगी।**

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश के समस्त अशासकीय विद्यालयों में 1992 से अब तक एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 के रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति की जाय।'' **चर्चा जारी रहेगी।**

श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि ट्रामा सेन्टर कण्डीसौड़ (छाम) विकास खण्ड थौलधार जनपद टिहरी गढ़वाल को शीघ्र संचालित कराया जाय''। **चर्चा जारी रहेगी।**

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि सन् 1822 की क्रान्ति को पहली स्वतंत्रता क्रान्ति मानते हुए यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से भारत सरकार को भेजा जाय।'' **चर्चा जारी रहेगी।**

श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :–

''यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है कि राज्य में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों के क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत व पुनर्निर्माण कराया जाय।'' **चर्चा जारी रहेगी।**

श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित ग्रामीण काश्तकारों के पुनर्वास से सम्बन्धित वाद एवं लम्बित शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जाय।'' **चर्चा जारी रहेगी।**

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि सरकार द्वारा सीधी भर्ती का रोस्टर बदलकर अनु0 जाति को पहले स्थान से हटाकर 06 वां स्थान करने पर तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 07 से हटाकर 08 वां स्थान करने तथा अनुसूचित जनजाति के क्रमांक 24–25 वां स्थान करने से इस वर्ग के लोग हो रहे लाभ से वंचित हो गये है जबकि फरवरी 2019 में ही रोस्टर बदलने का क्या कारण है सरकार द्वारा तत्काल पूर्व रोस्टर को पुनः स्थापित किया जाय।'' **चर्चा जारी रहेगी।**

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :–

''प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया जाय।'' **चर्चा जारी रहेगी।**

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :–

''प्रदेश की आर्थिक एवं भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए इस सदन में चर्चा कराई जाय।'' **चर्चा जारी रहेगी।**

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के कार्मिक विभाग के अन्तर्गत ''इरशाद हुसैन'' आयोग का गठन किया गया था जिसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर अभी तक नहीं रखी गई है। सदन के पटल पर यह रिपोर्ट अविलम्ब रखी जाय।'' **चर्चा जारी रहेगी।**

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के प्राइवेट शुगर मिलों से किसानों की कई सौ करोडों रूपये गन्ने की बकाया रकम दिलाने हेतु इस सदन में चर्चा कराई जाय।'' **चर्चा जारी रहेगी।**

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :–

''आयोजनागत एवं आयोजनोत्तर योजनाओं के आय–व्यय निर्धारण में संविलीयन होने से एस0सी0पी0 एवं टी0एस0पी0 का मात्राकरण जो पूर्व में इनकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होता था उस व्यवस्था के समाप्त होने के कारण पृथक–पृथक मात्राकरण आय–व्यय के नहीं होने के कारण इन योजनाओं का अस्तित्व ही निरर्थक हो गया है क्योंकि जनसंख्या के आधार पर आय–व्यय उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अतः इनके मात्राकरण के लिए तत्काल सरकार नीति निर्धारित करें।'' **चर्चा जारी रहेगी।**

श्री अध्यक्ष द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को सदन में की गयी घोषणा के अनुक्रम में दिनांक 24 मार्च, 2018 को विचाराधीन निम्नलिखित विषय पर चर्चा :–

''सतत विकास लक्ष्य (एस0डी0जी0)'' **चर्चा जारी रहेगी।**

श्री अध्यक्ष द्वारा श्री नवीन चन्द्र दुम्का, मा0 सदस्य, विधान सभा ने अपने पत्र संख्या जून/483, दिनांक 13 जून, 2018 के माध्यम से श्री नवीन चन्द्र पुजारी, प्रधानाचार्य, रा0उ0मा0 विद्यालय, नवाड़खेड़ा, जनपद नैनीताल के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर निर्णय दिया कि:–

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में परीक्षण के मन में मा0 शिक्षा मंत्री के अ0शा0प0संख्या 10/XXIV–नवसृजित/19–33(01)/2018, माध्यमिक शिक्षा, दिनांक 12 मार्च, 2019 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल से जांच करायी गयी। मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल की जांच आख्या के आधार पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा अवगत कराया गया है कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवाड़खेड़ा, नैनीताल को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत दो अतिरिक्त कक्षा–कक्षों के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई थी जिसका निर्माण विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा कराया गया। कक्षा, कक्षों का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अध्यक्ष, विद्यालय प्रबन्ध समिति, स्थानीय जिला पंचायत सदस्य व अन्य अभिभावकों द्वारा उनका लोकार्पण मा0 वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड के कर कमलों से कराये जाने का प्रस्ताव किया गया तथा मा0 मंत्री से मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने की सहमति प्राप्त की गयी।

मुख्य शिक्षा अधिकारी की जांच आख्या में यह भी उल्लिखित है कि विद्यालय के कक्षा कक्षों के लोकार्पण में लगाये शिलापट में स्थानीय मा0 सदस्य से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क स्थापित नहीं किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित होने हेतु मा0 सदस्य को आमंत्रण पत्र वाहक के माध्यम से उनके निवास स्थान पर उपलब्ध कराया गया।

मुख्य शिक्षा अधिकारी ने अपनी जांच आख्या में यह भी उल्लेख किया है कि श्री नवीन चन्द्र पुजारी, प्रधानाध्यापक द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा उक्त त्रुटि की जानकारी होने पर दिनांक 08 सितम्बर, 2018 को लिखित रूप में मा0 सदस्य से क्षमायाचना प्रस्तुत की गयी।

यह अत्यन्त गम्भीर विषय है कि पीठ एवं स्वयं सरकार की ओर से निर्गत निर्देशों के पश्चात् भी अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकाल का पालन नही किया जा रहा है। स्वयं नेता सदन द्वारा भी इस सम्बन्ध में विशेष निर्देश पारित किये गये है। तथापि अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों का यथोचित सम्मान न किये जाने की घटनाओं की पुनरावृति दृष्टि गोचर हो रही है। यह स्पष्ट रूप से विधायिका के प्रति उनकी उदासीनता को प्रदर्शित करती है। प्रदेश की विधायिका प्रदेश की जनता की प्रतिनिधि सभा है और लोकतंत्र में जनता और जनहित ही सर्वोपरि है और इसके प्रतिनिधियों के सम्मान के प्रति उदासीनता संसदीय लोकतंत्र में स्वीकार्य नही है। अतः में पुनः निदेशित करता हूं कि सदन के सम्मानित सदस्यों के प्रोटोकाल का यथोचित सम्मान किया जाय और समय–समय पर इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से जारी निर्देशों और नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

माननीय सदस्य द्वारा दी गयी सूचना तथा माननीय शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड से प्राप्त जानकारी तथा संबंधित अधिकारी की क्षमायाचना के उपरान्त मैं सूचना को उपरोक्त निदेशों के साथ निस्तारित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–53 के अन्तर्गत कुल 14 सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। मा0 संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव पर सभी सूचनाएं केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर ली जायें। इस पर श्री अध्यक्ष ने सभी सूचनाओं को सरकार के ध्यानाकर्षण के लिये स्वीकार किया।

मा0 सदस्य श्री देशराज कर्णवाल की सूचना, जो कार्मिकों की पुरानी पेंशन एवं जी0पी0एफ0 व्यवस्था पूर्व की भांति लागू किये जाने के सम्बन्ध में है, को नियम– 53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया।

मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार की सूचना, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र थत्यूड़ (जौनपुर) में रेडियोजॉजिस्ट, ऑर्थोपैडिक तथा महिला चिकित्सक की तैनाती न करने तथा वहां पर तैनात नेत्र सर्जन के नई टिहरी सम्बद्ध होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, को नियम – 53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया।

मा0 सदस्य श्री हरीश सिंह की सूचना, जो भा0ज0पा0 सरकार के शासनकाल में जारी शासनादेश दिनांक 08 दिसम्बर, 2011 के अनुसार डीडीहाट, यमुनोत्री, रानीखेत एवं कोटद्वार को जिला घोषित किये जाने के सम्बन्ध में है, को नियम – 53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया।

मा0 सदस्य डॉ0 धन सिंह नेगी की सूचना, जो कोटी कॉलोनी स्थित ऐरो, लैण्ड वाटर ऐडवेंचर के संचालन के सम्बन्ध में है, को नियम – 53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया।

मा0 सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी की सूचना, जो कर्णप्रयाग विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थान गैरसैंण, आदिबद्री तथा गौचर में वाहनों की भारी संख्या व सुचारू यातायात हेतु पार्किंग निर्माण के सम्बन्ध में है, को नियम – 53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया।

मा0 सदस्य श्री राजकुमार ठुकराल की सूचना, जो जनपद उधमसिंह नगर के जिला मुख्यालय रूद्रपुर में किच्छा रोड़ पर स्थित कूड़ाघर (ट्रचिंग ग्राउण्ड) को हटाये जाने के सम्बन्ध में है, को नियम – 53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया।

मा0 सदस्य श्री महेन्द्र भट्ट की सूचना, जो जनपद चमोली के जोशीमठ–मलारी मोटर मार्ग के विस्तारीकरण/चौड़ीकरण के बाद प्रभावित काश्तकारों को मुआवजा न मिलने से व्याप्त आक्रोष के सम्बन्ध में है, को नियम – 53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया।

मा0 सदस्य श्री चन्दन राम दास की सूचना, जो विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के हाई केबी की बिजली लाईनों के शिफ्ट करने के सम्बन्ध में है, को नियम – 53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया।

मा0 सदस्य श्री कैलाश चन्द्र गहतोड़ी की सूचना, जो चम्पावत विधान सभा के सीमावर्ती क्षेत्र मंच में स्वीकृत उपतहसील के बन्द होने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में है, को नियम – 53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया।

मा0 सदस्य श्री बिशन सिंह चुफाल की सूचना, जो जनपद पिथौरागढ़ के दूनाकोट से रैतुली बोरागाँव में सड़क के डामरीकरण के सम्बन्ध में है, को नियम – 53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया।

मा0 सदस्य श्री आदेश चौहान की सूचना, जो नाले का अतिक्रमण न हटने के कारण हो रहे जलभराव से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में है, को नियम – 53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया।

मा0 सदस्य श्री केदार सिंह रावत की सूचना, जो पर्वतीय क्षेत्र के लघु उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है, को नियम – 53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया।

मा0 सदस्य श्री राम सिंह कैड़ा की सूचना, जो उत्तराखण्ड के भीमताल विधान सभा के पर्वतीय क्षेत्र के काश्तकारों द्वारा वर्षों से काबिज भूमि पर उन्हें पट्टा/मालिकाना हक दिये जाने के सम्बन्ध में है, को नियम – 53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया।

मा0 सदस्य श्री बलवन्त सिंह भौर्याल की सूचना, जो चिकित्सा सेवाओं की बदहाल स्थिति के सम्बन्ध में है, को नियम – 53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया।

संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि इस सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

''राष्ट्रगान'' के उपरान्त सदन का उपवेशन 01 बजकर 08 मिनट पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ।

मुकेश सिंघल
सचिव (प्रभारी),
विधान सभा।

स्वीकृत,

प्रेमचन्द अग्रवाल
अध्यक्ष,
विधान सभा।